(b) whether it is also a fact that certificates to these students to the effect that they have appeared in the final examination of XII are not being issued with the result that these students cannot appear in the various examinations for S.E. degree course etc.; if so, what are the reasons therefor; and

(c) what action has been taken or proposed to be taken by Government in this matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI L.P. SHAHI): (a) to (c) Delhi Administration has been asked to enquire into the allegations and submit a report.

फिल्मी पत्रिकाओं / पाठ्य पुस्तकों के लिये कागज की सप्लाई

1977. **श्रीमती वीणा वर्मा :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि सरकार द्वारा फिल्मी पत्रिकाओं के लिए रियायती दर पर कागज सप्लाई किया जाता है ; यदि हां तो किस दर पर और इन पत्रिकाओं को कितना कागज सप्लाई किया जाता है ;

(ख) क्या शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रकाशनों को भी रियायती दरों पर कागज सप्लाई किया जाता है ; यदि नहीं? तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य किताबों के लिए प्रति वर्ष कितने कागज की आवश्यकता होती है और सरकार द्वारा पाठ्य पुस्तकों के लिए कितना कागज सप्लाई किया जाता है ;

(घ) क्या यह सच है कि सामान्य खुला लाइसेंस योजना के कारण समाचार पत्रों को अखबारी कागज सस्ता मिलता है ; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कागज के मूल्यों में कितनी वृद्धि की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. साही) : (क) और (ख) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार (भा०स०र०) के कार्यालय में पंजीकृत और देश में प्रकाशित किसी अन्य पात्रिका के समान कोई फिल्म पत्रिका भी अखबारी कागज के लिए आवेदन कर सकती है ।

कोई समाचार पत्र या जन समाचारों या विचारों से संबंध रखने वाली कोई पत्रिका, अखबारी कागज के लिए आवेदन कर सकती हैं बशर्तेकि वह भा०स०र० के पास पंजीकृत हो । लघु श्रेणी के सभी समाचार पत्र मानक अखबारी कागज के लिए 550 रु० प्रति मीट्रिक टन की दर से प्रमार्य आयाती अखबारी कागज पर लगने वाले सीमा शुल्क से मुक्त होगे । मध्यम श्रेणी के समाचार पत्र/पात्रिकाएं 275/- रु० प्रति मीट्रिक टन की दर से भुगतान करते हैं । जबकि बड़ी श्रेणी के समाचार पत्र/पत्रिकाएं पूर्ण शुल्क का भुगतान करती हैं । ग्लेज अखबारी कागज पर सीमा शुल्क 1-3-1989 से 5501-रु० प्रति मीट्रिक टन से 30% यथामूल्य पर निर्धारित कर लिया गया है तथा जिसमें इस प्रकार का कागज इस्तेमाल करने वाली पत्रिका की किसी श्रेणी को कोई रियायत नहीं है । आर्थिक सहायता की योजना के अन्तर्गत पाठ्य पुस्तकों को मुद्रण और अभ्यास पुस्तकों आदि के निर्माण के लिए रियायती दर पर राज्य सरकारों को सफेद मुद्रण कागज आबंटित किया जाता है ।

(ग) वर्ष 1985-86 के लिए छात्र दाखिला आंकड़े के आधार पर स्कूल पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण के लिए सफेद मुद्रण कागज की आवश्यकता का अनुमान लगभग एक लाख मीट्रिक टन लगाया गया है । आर्थिक सहायता की योजना के अंतर्गत शिक्षा विभाग राज्यो/संघ शासित क्षेत्रों में शैक्षिक क्षेत्र को

कुल 80,000 मीट्रिक टन कागज वार्षिक रूप से आवंटित करता है जिसमें स्कूल पाठ्य पुस्तकों, अभ्यास पुस्तकों एवं परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं का मुद्रण शामिल है ।

(घ) भा०स०२० द्वारा आवंटित अखबारी कागज का आयात पूरी तरह राज्य व्यापार निगम के माध्यम से संचालित होता है । ओ०जी०एल० के अंतर्गत अखबारी कागज का आयात करने वाले समाचार पत्र यदि कोई हैं तो उन्हें अखबारी कागज आवंटन नीति के अंतर्गत मूल्य घोषित करने की आवश्यकता नहीं है और ऐसी सूचना भा०स०२० के पास उपलब्ध नहीं है ।

(ङ) वर्ष 1982-83 से स्वदेशी और आयाती अखबारी कागज के मूल्य संलग्न हैं । [देखिए परिशिष्ट 150, अनुपत्र संख्या 98]

जनवरी 1987 में आर्थिक सहायता योजना के आरम्भ होने से अब तक आर्थिक सहायता प्राप्त रियायती कागज के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

Admissions of Medical graduates from Jammu and Kashmir

1978. SHRI PRABHAKAR RAO KALVALA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Medical graduates belonging to other States who have studied at Jammu and Kashmir are denied admission for Post-Graduation in other States, and Central Universities; and

(b) if so, what action has been taken by the Government to ensure their admission in Post Graduation and what is the number of such medical graduates who completed their M.B.B.S. at J & K and have been denied admissions.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI L.P. SHAHI): (a) and (b) The Government is not aware whether the medical graduates belonging to other states who have studied at Jammu and Kashmir are denied admissions for post graduation in other states and Central Universities. According to the Ministry of Health, however, the Supreme Court of India while ordering that an all India Entrance Examination should be conducted for admission to 25% Post graduate medical/dental seats and 15% M.B.B.S./BDS seats, had excluded the states of Andhra Pradesh and Jammu and Kashmir from taking part in the scheme of All India Entrance Examination as long as the two States do not agree to contribute 25% post graduate seats and 15% M.B.B.S./BDS seats respectively in their medical colleges. However, the students who have passed their M.B.B.S. from Jammu and Kashmir as a nominee of the Govt. of India have been permitted to appear in the All India Entrance Examination for admission to Post graduate Medical/ Dental courses after production of an affidavit that they are not domicile of J & K.

Adult Education Centres in Chandigarh

1979. SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the number of Adult Education Centres running in the Union Territory of Chandigarh with the National Literacy Mission Authority;

(b) what is the present number of learners in each of these Centres; and

(c) what is the approximate number of adults in the age groups 14—35 years, who are illiterate and do not go to any Centre in the union Territory?